

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: एफ10( )उपचुनाव/स्वा.शा./23/5451

दिनांक:- 26/12/23

अधिसूचना

चूंकि राज्य के 8 जिलों की 05 नगर परिषद तथा 3 नगर पालिकाओं के निम्नांकित सदस्यों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन किया जाना है :-

क्र. सं.	नाम जिला	क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	वार्ड संख्या
1.	2.	3.	4.	5.
01.	अजमेर	1.	नगर परिषद केकडी	09
02.	बांसवाडा	2.	नगर परिषद बांसवाडा	09
03.	बीकानेर	3.	नगर पालिका श्रीजुंगरगढ	03
04.	दौसा	4.	नगर पालिका महवा	14
05.	धौलपुर	5.	नगर परिषद धौलपुर	51
06.	डीडवाना - कुचामनसिटी/ नागौर	6.	नगर परिषद कुचामनसिटी	07
07.	पाली	7.	नगर पालिका तख्तगढ	17
08.	सवाई माधोपुर	8.	नगर परिषद सवाई माधोपुर	05

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं. 18) की धारा 11 की उप धारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर, ऊपर वर्णित नगर परिषद /पालिकाओं के रिक्त स्थानों को भरने के लिए राज्य सरकार एतद् द्वारा मतदान की तारीख 10.01.2024 (बुधवार) नियत करती है, और ऊपर वर्णित नगरीय निकाय के रिक्त वार्डों के मतदाताओं से यह अपेक्षा करती है कि वह सदस्य पद के स्थानों को भरने के लिए उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उस वार्ड के लिये एक सदस्य निर्वाचित कर दें।


राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृवेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: एफ10( )उप चुनाव/स्वा.शा./23/ 5452-5500 दिनांक:-26/12/23  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सचिवालय जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग/पंचायत राज0 विभाग जयपुर।
03. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव/निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वा. शासन विभाग राज0 जयपुर
05. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
06. जिला कलेक्टर, अजमेर/बांसवाडा/बीकानेर/दौसा/धौलपुर/डीडवाना-कुचामनसिटी/नागौर/पाली/सवाई माधोपुर।
07. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
08. निदेशक/अधीक्षक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राज0 जयपुर को राज. राजपत्र के भाग 6 (क) के आगामी असाधारण अंक दिनांक: 26/12/2023 में प्रकाशनार्थ।
09. निदेशक जनगणना विभाग, राज0 जयपुर।
10. निदेशक, पंचायत राज विभाग, राज0 जयपुर।
11. मुख्य अभियन्ता/मुख्य नगर नियोजक/मुख्य लेखाधिकारी/अतिरिक्त निदेशक/उप निदेशक, (प्रशासन/सांख्यिकी) सहायक निदेशक (सर्तकता) निदेशालय।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
13. समस्त संबंधित आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी/नगर परिषद केकडी/बांसवाडा/धौलपुर/कुचामनसिटी/सवाईमाधोपुर/नगर पालिका श्रीडूंगरपगढ/महवा/तख्तगढ।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
15. प्रोगामर, निदेशालय को विभाग की वैवसाईट में अपलोड करने हेतु।
16. सुरक्षित पत्रावली।

  
( संजय माथुर )

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी